

W. 14288

9821

रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33004/99

21/91
27/7/04

भारत सरकार मुद्रणालय

डी. वि. नं. GD. NO. D. L. 33004/99

98-4-04



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 300
P.M. 30
Deptt- 57
CPB. 220

सं. 174]
No. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 2004/चैत्र 13, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 2004/CHAITRA 13, 1926

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 249(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुका द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना [भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 2004 की सा.का.नि. 2 के तहत प्रकाशित] के पैरा 1 के उप-पैरा (2) में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना 2 जून, 2004 से लागू होगी।

[फा. सं. 11012/4/2003-स्थापना (क)]

एस. चन्द्रशेखरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2004

G.S.R. 249E).— in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, in partial modification of sub-paragraph (2) of paragraph 1 of the notification of Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) dated 23rd December, 2003 [G.S.R. 2 dated 3rd January, 2004 published in the Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-section (i)], the President hereby directs that said notification shall come into force on 2nd June, 2004.

[F. No. 11012/4/2003-Estt. (A)]

S. CHANDRASEKARAN, Jt. Secy.